प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **13-06-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1- जान से मारने की नियत से मारपीट करने के आरोपियों को थाना कांठ पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत करना है कि दिनांक 13-06-2025 को वादी यूनुस खाँ पुत्र श्री मकबूल निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्तगण द्वारा वादी के पुत्र के साथ मारपीट व गाली गलौच करने,मना करने पर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से प्रहार करने जिससे वादी का पुत्र लहुलुहान होकर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में थाना कांठ पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना कांठ पर मु0अ0सं0- 163/2025 धारा- 109/115(2)/352/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में दिनांक 13-06-2025 को थाना कांठ पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1-रिहान पुत्र इस्लामुद्दीन 2-एजाज पुत्र भूरे निवासीगण ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक छुरा बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/ 25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1-रिहान पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

2-एजाज पुत्र भूरे निवासी ग्राम सलेमपुर थाना कांठ जनपद मुरादाबाद

बरामदगी का विवरणः- घटना में प्रयुक्त एक अवैध छूरा

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 गौरव कुमार, उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार, हे0का0 प्रमोद कुमार, का0 पंकज कुमार

2- थाना डिलारी पुलिस द्वारा 1,49,99,000 रुपये की पुरानी करेन्सी के नोट बरामदगी के मुकदमे में वांछित 01 आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एंव अपराधियो पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 19-05-2025 को व0उ0नि0 सुभाष चन्द्र यादव थाना डिलारी द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से 1,49,99,000 रुपये पुराने करेन्सी के नोट बरामद करने के संबंध में मु0अ0सं0-96/2025 धारा-318(4)/62/61(2)(क) बीएनएस व 5/7 स्पेसीफाइड बैंक नोटस (सीसेशन आफ लाइबिलेटीस) एक्ट 2017 पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 12-06-2025 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त परवेज खान पुत्र अनवार खान निवासी ग्राम सीना मवाना जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः- परवेज खान पुत्र अनवार खान निवासी ग्राम सीना मवाना जनपद मेरठ

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 अमरपाल सिंह, उ0नि0 मनीष सिरोही, का0 अवनीश चौधरी, का0 संदीप

3- नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को थाना भोजपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि दिनांक 08-06-2025 को वादी निवासी थाना भोजपुर क्षेत्रान्तर्गत ने अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में थाना भोजपुर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0-222/2025 धारा-137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 13-06-2025 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त उरमान पुत्र रजुआ निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-उरमान पुत्र रजुआ निवासी ग्राम लालूवाला थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 अजय दुबे, का0 सतेन्द्र साहू

4- नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोपी को थाना बिलारी पुलिस ने किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 09-06-2025 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रान्तर्गत ने अपनी नाबालिग पुत्री को ट्यूशन पढने जाने व वापस न आने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-268/2025 धारा-137(2)/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 13-06-2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त मौ0 फैजान पुत्र जफर हुसैन निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-मौ0 फैजान पुत्र जफर हुसैन निवासी ग्राम सतारन थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः- उ0नि0 श्री राहुल कुमार, हे0का0 कृष्णवीर सिंह, का0 सुनील भाटी

5-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 41 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा **41 व्यक्तियों** को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मुगलपुरा-01, थाना कटघर-07, थाना गलशहीद-01, थाना मझोला-01, थाना पाकबड़ा-07, थाना कांठ-03, थाना ठाकुरद्वारा-02, थाना भगतपुर-01, थाना डिलारी-07, थाना बिलारी-10, थाना सोनकपुर- 01,